न्यायालय सेशन न्यायाधीश, कोटा (राज.)

पीठासीन अधिकारी	:	सत्यनारायण व्यास
आपराधिक विविध प्रकरण संख्या	:	1286/2026
एफ.आई.आर.संख्या	:	56/2026
अंतर्गत धारा	:	115(2),126(2),117(2),110,3(5) BNS
पुलिस थाना	:	सीमलिया, कोटा ग्रामीण

1. लक्ष्मीचन्द पुत्र औंकारलाल
2. खुशीराम पुत्र लक्ष्मीचन्द
   निवासीगण मोतीकुआं, थाना सीमलिया, जिला कोटा (राज.)

--प्रार्थी अभियुक्तगण

विरुद्ध

राजस्थान सरकार, जरिये लोक अभियोजक, कोटा --विपक्षी

प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

उपस्थित:-

1. विद्वान अधिवक्ता श्री राजकुमार वर्मा, प्रार्थी अभियुक्तगण की ओर से
2. विद्वान लोक अभियोजक श्री मनोज पुरी, राज्य सरकार की ओर से
3. विद्वान अधिवक्ता श्री अंसार मोहम्मद, परिवादी की ओर से

आदेश दिनांक: 04.06.2026

प्रार्थी अभियुक्तगण लक्ष्मीचन्द व खुशीराम की ओर से जमानत का यह प्रार्थना-पत्र उनके अधिवक्ता ने पेश किया, जिसकी नकल लोक अभियोजक को दिलाई गई। अनुसंधान पत्रावली आहूत कर अवलोकन किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

2. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी अभियुक्तगण ने बहस के अंतर्गत प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए पक्षकथन किया है कि प्रार्थी अभियुक्तगण को उक्त प्रकरण में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जो न्यायिक अभिरक्षा में हैं। प्रार्थी अभियुक्तगण एवं परिवादीगण आपस में पारिवारिक रिश्तेदार हैं तथा आपस में चाचा-ताठ भाई-बंधु हैं। प्रार्थीगण कोई आदतन अपराधी नहीं हैं। यह घटना महज पारिवारिक विवाद के कारण उत्पन्न हुई है। वास्तविकता में दोनों परिवारां के बीच प्लॉट व दीवार बनाने को लेकर पुराना विवाद था जिसे लेकर दोनों

Authenticated Document

में विवाद गहरा गया जिस कारण आपस में दोनों पक्षों में मारपीट की घटना कारित हुई। प्रार्थीगण की तरफ से भी परिवादी के खिलाफ थाना सीमलिया में मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसकी एफआईआर सं. 54/2026 है। इस घटना में प्रार्थीगण औंकारलाल व खुशीराम के गम्भीर चोटें आई हैं, जो कि चोटें प्राणघातक हैं तथा इतीन गम्भीर चोटें आने के बाद भी थाना सीमलिया द्वारा फोरी कार्यवाही करते हुए उल्टा प्रार्थीगण को ही अभियुक्त बना दिया है। प्रार्थी लक्ष्मीचंद के हाथ में अस्थि भंग हुआ है तथा अंगूठा भी कट गया है। प्रकरण में प्रार्थीगण को रंजिशवश झूठा फँसाया गया है तथा वे अपने परिवार के एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं व उनके न्यायिक अभिरक्षा में रहने से परिवार के भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। प्रकरण में कोई रिकवरी आदि शेष नहीं है एवं अनुसंधान व विचारण में समय लगेगा। प्रार्थीगण कोटा के स्थायी निवासी हैं, जिनके फरार होने व गवाहान को टेम्परविद किये जाने का कोई अन्देशा नहीं है। प्रार्थी अभियुक्तगण की ओर से पूर्व में इस आशय का जमानत आवेदन-पत्र इस न्यायालय एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायायल के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही विचाराधीन है। उन्होंने प्रकरण के शेष अनुसंधान एवं विचारण में समय लगना बताते हुये प्रार्थी अभियुक्तगण को जमानत की सुविधा प्रदान किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्कों के समर्थन में फोटोग्राफ व एफ.आई.आर की प्रति पेश की गई।

3. इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक एवं विद्वान अधिवक्ता परिवादी ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुए कथन किया कि प्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा एकराय होकर हथियारों से लैस होकर परिवादी पक्ष का सदोष अवरोध कारित कर मारपीट कर गम्भीर चोटें कारित की गई हैं। उनका यह भी तर्क रहा कि उनके साथ गंभीर प्रकृति की चोटें कारित की गई है वे अपना इलाज कराने गये तो अभियुक्त पक्ष द्वारा पहले से सोची समझी रणनीति के तहत एफ.आई.आर. दर्ज करादी गई। उनके घर में घुसकर उनके साथ मारपीट कर गंभीर चोटें कारित की गई है। प्रार्थी अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 115(2),126(2),117(2),110,3(5) भारतीय न्याय संहिता के अपराध का आरोप है। अतः प्रार्थना-पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया गया।

4. उभय पक्ष के तर्कों पर मनन कर अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन किया गया। अनुसंधान पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादिया आहता श्रीमती राजू बाई ने एक पर्चा बयान एमबीएस अस्पताल, कोटा में भर्ती रहने के दौरान भगत सिंह एएसआई थाना सीमलिया, कोटा ग्रामीण के समक्ष इस आशय का दर्ज करवाया कि दिनांक 18.04.2026 को समय 08:30 पीएम से 09:30 पीएम के बीच में उसका देवर लक्ष्मीचन्द पुत्र औंकारलाल, खुशीराम पुत्र लक्ष्मीचन्द,

पूजा पत्नी लक्ष्मीचन्द ने उसके लड़के के उपर दारू पीकर हमला करने की कोशिश की तो वह एवं उसका पति रामकरण बीच-बचाव करने आये तो लक्ष्मीचन्द व उसके लड़के खुशीराम व पत्नी पूजा बाई ने लकड़ी, पम्पी व कुटिया से उसके व उसके पति पर हमला कर दिया, जिससे उसके सिर के बायें तरफ व बायें हाथ में लगी है। उसके पति के भी बायें हाथ में लगी है। इसके बाद उसके सिर से खून निकलने लगा तो उसका लड़का प्रेमचन्द, उसके जवाई छीतरलाल, सुनील कुमार, भारत सिंह जी उसे लेकर मोटरसाइकिलों से कोटा एमबीएस अस्पताल में आये, जहाँ पर आहता का इलाज चल रहा है। इन लोगों ने परिवादीगण को जाते हुए को रोककर आड़े फिर कर मारपीट की थी। उक्त पर्चा बयान पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 56/2026 संस्थित की जाकर प्रकरण वर्तमान में अन्वेषणाधीन है।

5. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत: Jugal Vs State of Rajasthan S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 13513/2020 की अनुपालना में अनुसंधान पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थी अभियुक्त खुशीराम का पूर्व का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं रहा है, जबकि प्रार्थी अभियुक्त लक्ष्मीचन्द का पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	मुक.नंबर	धारा	चार्जशीट	रिमार्क
1	200/2017	19/54 Excise Act	194/2017	लंबित कोर्ट
2	176/2021	143,341,323 IPC	167/2021	लंबित कोर्ट

6. अनुसंधान पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि प्रार्थी अभियुक्त खुशीराम के विरुद्ध पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं होना बताया गया है तथा प्रार्थी अभियुक्त लक्ष्मीचन्द के विरुद्ध पूर्व में दो प्रकरण संस्थित हुये हैं जिनको वर्तमान में न्यायालय में लंबित होना बताया गया है। इस प्रकार प्रार्थी अभियुक्तगण की पूर्व की कोई दोषसिद्धि अनुसंधान पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। आहतगण राजू बाई व रामकरण के धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बयान अनुसंधान पत्रावली पर उपलब्ध है जिनका अवलोकन किाय गया। अनुसंधान पत्रावली पर उपलब्ध आहत रामकरण के चोट प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार उसके एक ओपरेशन के बाद का घाव 14 से.मी. लंबाई में बांए अग्रबाहू पर आना बताया गया है जिसके लिसे एक्स-रे की राय दी गई है। बाद एक्स-रे उक्त चोट गंभीर प्रकृति की पाई गई है जिसमें अलना हड्डी का अस्थि भंग होना पाया गया है। आहत राजूबाई का चोट प्रतिवेदन के अनुसार उसके दो चोटें जिनमें चोट संख्या 1 सिला हुआ घाव 4 गुणा 4 से.मी. सिर के मध्य पार्श्विक भाग पर, चोट

संख्या 2 नीलगु निशान 3/2 से.मी. लंबाई में बांए हाथ के उपरी भाग पर आना बताया गया है। उक्त दोनों चोटें कुन्द हथियार से आना बताई गई है। उक्त चोटों के लिये एक्स-रे की राय दी गई है बाद एक्सरे चोट संख्या 1 साधारण प्रकृति की तथा चोट संख्या 2 को गंभीर प्रकृति की होना बताया गया है। प्रकरण में क्रोस केस एफआईआर संख्या 54/2026 भी दर्ज होना अनुसंधान पत्रावली पर आया है। आहतगण के चोट प्रतिवेदन के अनुसार उनके आई कोई भी चोट जीवन के लिये प्राणघातक होना नहीं बताई गई है। प्रकरण में प्रार्थी अभियुक्त लक्ष्मीचंद से एक लोहे का पाईप तथा प्रार्थी अभियुक्त खुशीराम से एक कुटिया बरामद किया जा चुका है। प्रार्थी अभियुक्तगण दिनांक 26.05.2026 से पुलिस व न्यायिक अभिरक्षा में हैं तथा अभी प्रकरण के शेष अनुसंधान एवं तत्पश्चात विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों-परिस्थितियों, आहत के आई चोटों की प्रकृति व प्रार्थी अभियुक्तगण की अभिरक्षा की अवधि (गिरफतारी दिनांक 26.05.2026) व प्रकरण में क्रोस केस एफ.आई.आर. भी दर्ज होने के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए मेरे मत में इस स्टेज पर प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना प्रार्थी अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

7. अतः प्रार्थी अभियुक्तगण लक्ष्मीचन्द व खुशीराम की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एतद्द्वारा स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक प्रार्थी अभियुक्त की ओर से विचारण के दौरान अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में व भविष्य में किसी प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करने की शर्त के साथ राशि 50 हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं राशि 25-25 हजार रुपये की दो सुदृढ़ प्रतिभू (प्रतिभूदाता के आधार कार्ड अथवा मतदाता पहचान पत्र की दो-दो फोटो प्रति सहित), विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद प्रस्तुत कर दिया जावे तो उन्हें इस प्रकरण में जमानत पर स्वतंत्र कर दिया जावे। इस जमानत आदेश में किये गये विवेचन का प्रकरण के गुणावगुण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

8. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **SMWP(Criminal) No. 04/2021 In Re Policy Strategy for Grant of Bail & SLP (Cri.) No. 529/2021** वाले मामले में दिये गये आदेश दिनांक 31.01.2023 की पालना में इस जमानत आदेश की एक प्रति जेल अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह कोटा को भी जरिये ई-मेल प्रेषित की जावे।

(सत्यनारायण व्यास)

Authenticated Document

आदेश आज दिनांक 04.06.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण व्यास)

BANWARI LAL GUPTA

Digitally signed by BANWARI LAL GUPTA
Date: 2026.06.04 13:49:18 +0530